न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 6/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/63

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
राजाराम पुत्र श्री जस्साराम, जाति सिरवी, निवासी कानेलाव, तहसील व जिला पाली (राज.)		भूमिधारी तहसीलदार, पाली, जिला पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मनीष राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 8-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 846/2020 बअनवान सरकार बनाम राजाराम में पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि तहसीलदार पाली द्वारा अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा संख्या 846/2020 में अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट द्वारा गांव कानेलाव में स्थित खसरा नंबर 94 रकबा 0.01 किस्म रास्ता की भूमी पर कब्जा/काश्त कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाने पर अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश दिनांक 22.12.2020 को पारित करते हुए सालाना लगान का 50 गुणा आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा नोटिस दिये जाने पर अपीलाण्ट नियत तारीख पेशी दिनांक 22.12.2020 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा जिस पर अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को जवाब हेतु समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.12.2020 दी गई। परन्तु बाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाले–बाले ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट ने किसी भी रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण नहीं किया है वह अपने हक अधिकार की भूमी पर काबिज है जिस भूमी पर अतिक्रमण बताया गया है वह पूर्व में ही हटाया जा चूका है व रास्ता पुर्णतया सुचारू रूप से विद्यमान हैं। अतः जैर अपील आदेश अपीलांट को जवाब हेतु समय दिये बिना एकतरफा पारित किया जाने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण के तथ्य साबित होने चाहिए थे परन्तु जिस तथ्य के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है वह साबित नहीं है। इसलिए बिना तथ्यों को साबित किए व अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया जाना विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त जैर अपील आदेश स्टेरियो टाईप कम्प्यूटर प्रोफार्मा में तैयार किया है व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गवाह, साक्ष्य नहीं है जो प्रकरण को अपीलाण्ट के विरूद्ध साबित कर सके। अपीलाण्ट के जीजाजी के तबियत खराब होने से वह अहमदाबाद में भर्ती थे अतः अपीलाण्ट अहमदाबाद गया हुआ था अपीलांट को 03.02.2021 को आदेश की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा नकल प्राप्त कर व वकील के मेहनताने की व्यवस्था कर तुरन्त ही हाजा अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए अपीलांट के विरूद्ध पारित जैर अपील आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने [illegible] पटवारी हल्का बाला द्वारा बाद जांच भू.अ.नि. [illegible] रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का खसरा नंबर 94 रकबा 0.01 बाधा किस्म गैर मुमकिन [illegible] की राजकीय भूमी पर मकान का आंशिक भाग [illegible] पक्की दिवार बनाकर [illegible]वृती अतिक्रमण किया था। जिस पर प्रकरण तहसीलदार द्वारा मु.न. 846/2020 दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो कि अपीलांट की माता से बाद तामील प्राप्त हुआ। तथा अपीलांट व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

चाहा गया परन्तु किसी भी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया अतः अपीलांट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 22.12.2020 को बेदेखली का जैर अपील आदेश पारित किया गया तथा जैर अपील आराजी गै.मु. रास्ते की भूमी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भूमी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से उसका नियमन नहीं हो सकता है जो निर्णय पारित किया गया है वह जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है अतः अपील अपिलांट निरस्त फरमाई जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली व आर्थिक दण्ड आदेश पारित किया जान तथा मौके पर मकान निर्मित होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील पर गुणावगुण पर बाद विचारण निर्णय किया जाना न्यायोचित है उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु 2 है :-

1. क्या तहसीलदार पाली द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाकर व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया ?
2. क्या अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया गया ?

पटवारी हल्का बाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक कूरना द्वारा बाद जाँच पेश की गई उसके आधार पर प्रकरण संख्या 846/2020 दिनांक 06.11.2020 को दर्ज कर अप्रार्थी को पश्चातवृति अतिक्रमण करने बाबत जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पेशी दिनांक 22.7.2020 को उपस्थित मय अधिवक्ता के हुआ जो मातहत अदालत की पत्रावली में अधिवक्ता अप्रार्थी के वकालतनामें से स्पष्ट है। तथा उक्त दिवस को उसके द्वारा जवाब साक्ष्य अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया गया। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पश्चातवृती अतिक्रमण करने पर तथा अतिक्रमित आराजी रास्ते की भूमी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से उसका नियमन आवंटन नहीं हो सकता। अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित करना ही एक मात्र विकल्प होने से तहसीलदार पाली द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत है।

मातहत अदालत की पत्रावली में पटवारी हल्का बाला के बाद जांच भू.अ.नि. कूरना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 94 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. रास्ते की राजकीय भूमी पर मकान व पक्की दिवार बनाकर संवत 2077 में अतिक्रमण करनें पर तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 846/2020 में दिनांक 22.12.2020 को बेदखली का जैर अपील आदेश पारित किये गया। अपीलार्थी द्वारा संवत 2076 में भी उक्त भूमी पर अतिक्रमण किया गया था जो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस में स्पष्ट उल्लेखित है उक्त नोटिस अप्रार्थी की माता द्वारा तामील है। प्रार्थी का पक्का निर्माण होने से उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल नहीं कर जुर्माना ही आरोपित किया गया था लेकिन अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर इस दुष्प्रवृति को रोकने के लिए जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर जैर अपील कार्यवाही की गई एवं जैर अपील आदेश पारित किया गया इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है अतिक्रमण करने की दुष्प्रवृति को रोकने के लिए जैर अपील आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जैर अपील आदेश यथावत रखा जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट [illegible] की जाती है एवं मातहत अदालत तहसीलदार पाली द्वारा जारी [illegible] प्रकरण 846/2020 बअनवान सरकार बनाम राजाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:07 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली